जून 2023 ■ वर्ष : 32 ■ अंक : 10 ₹130

सिविल सर्विसेज़

# क्रॉनिकल

1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका




प्रारंभिकी 2023 विशेष-8

# करेंट अफेयर्स रिमाइंडर 2022-23

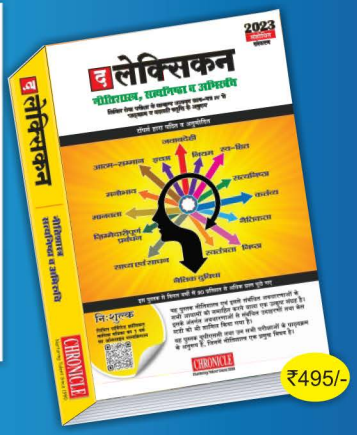

महत्वपूर्ण तथ्यों एवं आयामों को समाहित करते हुए सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न–पत्र हेतु समसामयिक घटनाक्रमों की समग्र एवं परीक्षोपयोगी प्रस्तुति



## सामयिक आलेख

- वैश्विक दक्षिण तथा भारत : समतामूलक विश्व व्यवस्था हेतु प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता आवश्यक
- भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल : गुणवत्तापूर्ण जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक
- भारत की नई अंतरिक्ष नीति : अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का संवर्धन
- भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र : आर्थिक लाभ का दोहन तथा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
- क्वांटम कम्प्यूटिंग : अनुप्रयोग तथा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तैयारियों की समीक्षा
- भारत एवं भूटान : परिवर्तनशील क्षेत्रीय परिस्थितियां तथा संबंधों के नवीन आयाम
- भारत में औषधि नियामक प्रणाली : चुनौतियां एवं समाधान

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष

सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र 5 एवं 6

पत्रिका सार

योजना-अप्रैल 2023

THE HINDU

करेंट अफेयर्स वनलाइनर

जून 2023
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

जून 2023
❑ वर्ष 32 ❑ अंक 10

# इस अंक में

83

प्रारंभिकी 2023 विशेष-8

# करेंट अफेयर्स रिमाइंडर 2022-23

## सामयिक आलेख

06 वैश्विक दक्षिण एवं भारत : समतामूलक विश्व व्यवस्था हेतु प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता आवश्यक
09 भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र : आर्थिक लाभ का दोहन तथा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
12 भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल : गुणवत्तापूर्ण जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक
14 भारत की नई अंतरिक्ष नीति : अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का संवर्धन

## इन फोकस

17 भारत में औषधि नियामक प्रणाली : चुनौतियां एवं समाधान
18 भारत-भूटान संबंधों के नवीन आयाम : परिवर्तनशील क्षेत्रीय परिस्थितियों में सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता
20 क्वांटम कम्प्यूटिंग : अनुप्रयोग तथा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तैयारियों की समीक्षा

## नियमित स्तंभ

### राष्ट्रीय परिदृश्य.....25-31

25 तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
26 निवारक निरोध, एक औपनिवेशिक विरासत : सुप्रीम कोर्ट
26 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023
27 एकीकृत ई-ग्रामस्वराज एवं जीईएम पोर्टल
28 राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20
28 भारत में जल निकायों की प्रथम गणना
29 जघन्य अपराधों में बाल संदिग्धों का मूल्यांकन
30 सेना कमांडरों का सम्मेलन
30 असम-अरुणाचल सीमा विवाद समझौता
31 दत्तक माताओं के लिए मातृत्व लाभ
31 NMC द्वारा मेडिकल छात्रों व शिक्षकों हेतु दिशा-निर्देश

22 पत्रिका सार : योजना-अप्रैल 2023

162 यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष
मॉडल प्रश्न : जीएस पेपर 5 एवं 6

### सामाजिक परिदृश्य ..... 32-36

32 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022
33 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट
33 बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश
34 विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
34 कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी
35 छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल : 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
36 विश्व विकास रिपोर्ट-2023
36 केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

### विरासत एवं संस्कृति ..... 37-42

37 अम्बेडकर सर्किट
38 श्री महाविष्णु मंदिर का विलक्कुमाडोम
38 स्मारकों और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस
39 महात्मा ज्योतिबा फुले
39 तेजा सिंह सुतंतार
40 ICCR की भाषा मैत्री पुल पहल
40 सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण
41 भगवान महावीर की जयंती
41 वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन
42 सौराष्ट्र तमिल संगमम

### आर्थिक परिदृश्य ..... 43-51

43 मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना
44 भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनीरत्न का दर्जा
44 संशोधित CGTMSE योजना
45 उड़ान 5.0

46 33 नवीन उत्पादों को जीआई टैग
46 लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक-2023
47 भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन
47 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
47 प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के संशोधित दिशा-निर्देश
48 यूरोपीय संसद द्वारा 'क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियमन' को मंजूरी
49 विंडफाल टैक्स
49 पीएम-मित्र योजना, ईपीसीजी के लिए पात्र योजना में शामिल
49 बॉक्स ट्रेडिंग संस्थाओं को नोटिस
50 आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का विनियमन

**अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन ..... 52-62**

52 शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम
53 विश्व व्यापार संगठन का भारत के विरुद्ध निर्णय
54 नाटो द्वारा भारत को निमंत्रण
54 ओपेक+ देशों की तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा
55 म्यांमार का कोको द्वीप तथा भारत
56 ऑपरेशन कावेरी
56 फिनलैंड
56 सेनकाकू द्वीप समूह
57 म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय
57 भारत-रोमानिया रक्षा समझौता
58 चीन-ताइवान संघर्ष
59 इजराइल-सीरिया संघर्ष
59 आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी
60 नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर
60 भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता
61 व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौता
61 जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण पर जी-7 मंत्रियों की बैठक
61 रूस-भारत अंतर-सरकारी आयोग (IGC) की 24वीं बैठक
62 कोरियाई युद्ध तथा भारत

**पर्यावरण एवं जैव विविधता .....63-73**

63 आकस्मिक सूखे की बारंबारता में वृद्धि की संभावना : अध्ययन
64 हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण
65 प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष
65 गज उत्सव 2023
66 भारत में हीटवेव का प्रकोप
67 मानसून पूर्वानुमान
68 राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22
68 वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022
69 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023
70 जल निकाय गणना
70 एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में एक फर्नारियम की स्थापना
71 पशु महामारी तैयारी एवं नियंत्रण
72 मैंग्रोव पिट्टा पक्षी
72 ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन मिशन
72 गेहूं की फसल और समयपूर्व वर्षा

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ..... 74-82**

74 जेनेटिक मार्कर और प्रीटर्म बर्थ
75 जीनोम अनुक्रमण तथा जीनोम इंडिया परियोजना
75 नेशनल क्वांटम मिशन की मंजूरी
76 3डी-प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन
77 ग्राफीन द्वारा असामान्य विशाल मैग्नेटोरेसिस्टेंस का प्रदर्शन
77 पीएसएलवी सी-55 मिशन
78 लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी
78 हृदय रोग के निदान हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट
79 उभरते खतरों के लिए तैयारी एवं लचीलापन पहल
79 आईएनएस इम्फाल
80 वीवीपैट मशीन
80 लॉकबिट रैनसमवेयर
81 पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023
81 डिजिटल हेल्थ समिट 2023
81 पुनः उपयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग परीक्षण
82 रेयर-अर्थ डिपॉजिट

**लघु सूचिका ..... 169-172**

**राज्यनामा ..... 173-174**

**खेल परिदृश्य ..... 175-176**

**वन लाइनर ..... 177-178**

**संपादक** : एन.एन. ओझा
**सहायक संपादक** : सुजीत अवस्थी
**अध्यक्ष** : संजीव नन्दक्योलियार
**उपाध्यक्ष** : कीर्ति नंदिता
**संपादकीय** : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
**विज्ञापन** : 9953007627, advt@chronicleindia.in
**सदस्यता** : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
**प्रसार** : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
**ऑनलाइन सेल** : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
**व्यावसायिक कार्यालय** : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

**क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.:** प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

# वैश्विक दक्षिण एवं भारत

## समतामूलक विश्व व्यवस्था हेतु प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता आवश्यक

• डॉ. अमरजीत भार्गव

**कोविड-19 महामारी की चुनौतियों, ईंधन, उर्वरक एवं खाद्यान्न की बढ़ती कीमतों तथा बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के लिए विकासात्मक प्रयासों को प्रभावित किया है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने विकास अनुभव साझा किए हैं, इससे भारत की ग्लोबल साउथ की चिंताओं को व्यक्त करने वाले संवेदनशील देश के रूप में पहचान स्थापित हुई है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तथा कूटनीतिक संवादों में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यह उभरती 'नवीन वैश्विक व्यवस्था' को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत के इन प्रयासों का प्रभाव 21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति पर भी दिखाई देगा।**

20 अप्रैल, 2023 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, रुचिरा कंबोज ने 'संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद' (ECOSOC) की बैठक में जी20 अध्यक्षता के माध्यम से वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा की। रुचिरा कंबोज के अनुसार भारत, वर्तमान समय में अपनी G-20 अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज तथा चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील है।

- इसी प्रकार मार्च 2023 में 'वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट' (Voice of the Global South Summit) की अध्यक्षता करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की मजबूती हेतु जलवायु परिवर्तन, गरीबी एवं असमानता जैसी सामान्य चुनौतियों का सामना करने के लिए विकासशील देशों के मध्य अधिक सहयोग का आह्वान किया था।
- ग्लोबल साउथ के रूप में पहचान रखने वाले देशों में विश्व की सबसे बड़ी आबादी निवास करती है और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करने तथा गरीबी और असमानता को कम करने की व्यापक क्षमता मौजूद है। हालांकि, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के मध्य आर्थिक विकास एवं अन्य क्षेत्रों में व्यापक असमानता दिखाई देती है। फिर भी, अधिक न्यायसंगत और स्थायी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए ग्लोबल साउथ का विकास महत्वपूर्ण है।
- ग्लोबल साउथ के रूप में पहचान रखने वाले समूह में भारत एक महत्वपूर्ण देश है। एक देश के रूप में भारत ने हाल के वर्षों में असाधारण प्रगति की है। उदाहरण के लिए 'क्रय शक्ति समता' (PPP) के मामले में भारत, पिछले कुछ वर्षों से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बना हुआ है। वर्तमान समय में, विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश भारत के साथ अपने बेहतर संबंधों का निर्माण कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण कूटनीतिक संबंधों में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- अत: आने वाले समय में ग्लोबल साउथ का विकास करने तथा नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करने के लिए विकासशील देशों को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है तथा भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

### ग्लोबल साउथ क्या है?

- ग्लोबल साउथ नामक शब्द का उपयोग विश्व के उन देशों और क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें कम विकसित और आर्थिक रूप से वंचित माना जाता है। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं।
  - वैश्विक अर्थव्यवस्था में ग्लोबल साउथ की अवधारणा ऐतिहासिक असंतुलन तथा शक्ति व संसाधनों के वितरण में अधिक समता की आवश्यकता की प्रतिक्रिया के रूप में उभरी है।
- **महत्व:** ग्लोबल साउथ का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह विश्व की अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और इसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। ग्लोबल साउथ में विश्व की अनेक सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं तथा इनमें भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास को आगे ले जाने की क्षमता निहित है।

### ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बहस का उदय

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** इस बहस की जड़ें औपनिवेशिक युग में देखी जा सकती हैं। इस काल में यूरोपीय शक्तियों ने संसाधनों पर कब्जा करने तथा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के श्रमिकों का शोषण करते हुए अपने उपनिवेश स्थापित किए। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ में धन और संसाधनों का हस्तांतरण हुआ।
- **औपनिवेशिक युग के पश्चात:** औपनिवेशिक युग के पश्चात भी ग्लोबल साउथ के नव स्वतंत्र देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में शोषण तथा उनका हाशिए पर रहना जारी रहा। इस समय भी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर पश्चिमी शक्तियों का प्रभुत्व था, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को नियंत्रित करने वाले संस्थानों तथा विनियमों को नियंत्रित करते थे।
  - इनमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं को लिया जा सकता है, जिन्हें एक तरह से विकासशील देशों की कीमत पर विकसित देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।

# भारत में निवारक स्वास्थ्य देखभाल
## गुणवत्तापूर्ण जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

**वर्तमान समय में निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के कारण प्रारंभिक अवस्था में ही किसी बीमारी का निदान प्राप्त हो सकता है तथा एक व्यक्ति एवं उसके परिवार को गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय कठिनाइयों से सुरक्षा मिल सकती है।**

केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 86,175 करोड़ रुपये आवंटित किए। इस वर्ष का स्वास्थ्य बजट पिछले वित्तीय वर्ष से 2.7 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान समय में, देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा लगभग 3.2% है। हालांकि, यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) के सकल घरेलू उत्पाद के औसत स्वास्थ्य व्यय (लगभग 5.2%) की तुलना में बहुत कम है।

- उपयुक्त बजटीय आवंटन के अभाव में देश की विशाल आबादी की स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान विश्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को तीव्र गति से मान्यता मिल रही है। एक अनुमान के अनुसार, इस प्रकार की सेवाओं की व्यापक स्वीकृति के कारण ही भारत में वर्ष 2025 तक फिटनेस, वेलनेस, फूड्स एवं सप्लीमेंट्स, आरंभिक स्वास्थ्य जांच तथा हेल्थ ट्रैकिंग सहित निवारक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का बाजार 197 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।
- हाल के वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल स्टार्ट-अप पोषण, कल्याण, कैंसर, जीनोमिक्स तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रों में निवारक सेवाओं का तेजी से विकास कर रहे हैं। चूंकि, निवारक स्वास्थ्य सेवाएं किसी बीमारी से बचाव करती हैं, इसलिए इन्हें जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य निर्धारण में निवारक स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- ऐसी स्थिति में, देश के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इन्हें नवीन प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

### भारत में स्वास्थ्य देखभाल : वर्तमान स्थिति

- भारत में स्वास्थ्य सेवा की वास्तविकता आदर्श से बहुत दूर है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल-2021 के अनुसार, भारत में प्रति 1,000 जनसंख्या पर केवल 0.55 डॉक्टर और 0.8 नर्स हैं, जो कि WHO द्वारा अनुशंसित प्रति 1,000 जनसंख्या न्यूनतम 1 डॉक्टर और 2.5 नर्स से काफी कम है।
- इसके अलावा, भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च इसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.28% है, जो विश्व के अनेक देशों से कम है। संवैधानिक लक्ष्य के बावजूद, भारत में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सार्वभौमिक नहीं हो सकी है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, भारत में केवल 51.9% महिलाओं को प्रसव-पूर्व पूर्ण देखभाल प्राप्त हुई, और 12-23 महीने की आयु के केवल 61.3% बच्चों को पूर्ण बुनियादी टीकाकरण प्राप्त हुआ है।
- इसके अलावा, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 64% आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय है, जो गरीबी और ऋणग्रस्तता का कारण बन सकता है।

### निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का वर्गीकरण

- किसी बीमारी के रोकथाम के आधार पर निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रारंभिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक निवारक उपायों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-
  - **प्रारंभिक निवारक (Primordial Prevention):** इस ज्ञान के आधार पर कि एपिजेनेटिक परिवर्तन (Epigenetic Modifications) गर्भाधान से आरंभ होते हैं, प्रारंभिक निवारक सेवाओं को स्वास्थ्य संवर्धन की एक अलग श्रेणी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, उन रणनीतियों को संदर्भित करता है जो जीवन के शुरुआती दिनों में ही स्वास्थ्य जोखिमों को उत्पन्न होने से रोकती हैं।
  - **प्राथमिक निवारण (Primary Prevention):** प्राथमिक निवारक सेवाओं के अंतर्गत किसी रोग को उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करके उन्हें हटाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। ऐसा व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर भी किया जा सकता है। बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण, स्वस्थ आहार और व्यायाम की दिनचर्या का पालन करना तथा धूम्रपान छोड़ना इसके कुछ उदाहरण हैं।
  - **द्वितीयक निवारण (Secondary Prevention):** द्वितीयक निवारक प्रथा के अंतर्गत रोग के लक्षणों के प्रकट होने से पहले रोगों की पहचान करने और उनका उपचार करने की तकनीकें शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, समय पूर्व कैंसर की जांच और उच्च रक्तचाप का उपचार अनेक हृदय संबंधी रोगों से सुरक्षित करने में मदद करता है।
  - **तृतीयक निवारण (Tertiary Prevention):** इसमें अक्षमता या मृत्यु दर (Incapacity or Mortality) जैसे लक्षणात्मक रोगों के प्रभाव को कम करने के लिए उपचार और स्वास्थ्य लाभ का उपयोग करने की तकनीकें (विशेष रूप से ऐसी तकनीकें जो किसी रोग के प्रसार को रोकती हैं) शामिल रहती हैं।

### निवारक स्वास्थ्य सेवा का महत्व

- अनियमित जीवनशैली के परिणामस्वरूप देश में तीव्र गति से मधुमेह, थायरॉयड, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का प्रसार हुआ है। दीर्घकालिक एवं गैर-संचारी रोगियों की बढ़ती संख्या से 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल रणनीतियों' को शीघ्रता से लागू किए जाने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं।

नीति विश्लेषण

# भारत की नई अंतरिक्ष नीति

## अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का संवर्धन

• महेंद्र चिलकोटी

**भारत सरकार ने वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी इकाइयों की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें एक समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत की थी। इन सुधारों के बाद, सरकार देश में एक फलता-फूलता सक्षम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नियामक निश्चितता प्रदान करना चाहती है। इसी क्रम में सरकार भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लेकर आई है, जिसे अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार दृष्टिकोण को लागू करने हेतु एक व्यापक, समग्र एवं गतिशील ढांचे के रूप में तैयार किया गया है।**

केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल, 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 (Indian Space Policy 2023) को मंजूरी दी, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने की परिकल्पना करती है।

* प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित इस नीति में इसरो, अंतरिक्ष क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम 'न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड' (NSIL) तथा 'भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र' (IN-SPACe) की भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया गया है।

### नीति की मुख्य विशेषताएं

* नीति का उद्देश्य निजी कंपनियों को रॉकेट एवं उपग्रह निर्माण तथा अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने सहित अंतरिक्ष गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देकर देश के अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
* IN-SPACe भारतीय अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी होगी। यह लाइसेंस देने, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी।
* यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है तथा भारत के अंतरिक्ष कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करती है।
* नीति का एक अन्य उद्देश्य देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है।

### भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र : अवलोकन

* भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसे 1969 में स्थापित किया गया था। इसरो एक सरकारी स्वामित्व वाला संगठन है, जो उपग्रहों को विकसित करने और प्रक्षेपित करने, अंतरिक्ष संबंधी अनुसंधान करने तथा अन्य सरकारी एजेंसियों एवं निजी कंपनियों को अंतरिक्ष से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
* भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को लागत प्रभावी उपग्रह निर्माण के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है तथा यह बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण एवं नागरिक उपयोग का समर्थन करता है। इसरो की सफलता दर असाधारण है और यह वैश्विक स्तर पर छठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है।
* इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए स्वदेशी तकनीकों का विकास करना तथा राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। पिछले कुछ वर्षों में, इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित की है, जिसमें उपग्रह डिजाइन एवं निर्माण, प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अनुप्रयोग शामिल हैं।
* इसरो ने संचार, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए 120 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम भी है, जिसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) कहा जाता है, जो भारत और आसपास के क्षेत्र के लिए स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करता है।
* इसरो ने विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाओं पर नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (रोस्कोस्मोस) सहित विश्व भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग किया है।
* भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र ने मौसम की भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन एवं संचार जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करके देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। इस क्षेत्र ने रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं तथा भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा दिया है।

### अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां

भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

in फोकस


- भारत में औषधि नियामक प्रणाली : चुनौतियां एवं समाधान
- भारत–भूटान संबंधों के नवीन आयाम : परिवर्तनशील क्षेत्रीय परिस्थितियों में सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता
- क्वांटम कम्प्यूटिंग : अनुप्रयोग तथा चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय तैयारियों की समीक्षा


# भारत में औषधि नियामक प्रणाली

## चुनौतियां एवं समाधान




हाल ही में अफ्रीकी देश गाम्बिया में भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए खांसी के सिरप के सेवन से मृत्यु की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा भारत में निर्मित आई ड्रॉप के कारण अमेरिका में आंखों में संक्रमण का मामला भी देखा गया।

- इन घटनाओं ने "विश्व की फार्मेसी" के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है तथा देश में ड्रग रेगुलेशन के साथ ही सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

### भारत में औषधि नियामक प्रणाली

- **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):** यह भारत में औषधीय क्षेत्र का प्राथमिक नियामक निकाय है, जो देश में दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि भारत से निर्यात की जाने वाली दवाएं आयात करने वाले देश की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के मानकों को पूरा करें, यह इसे सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्यूटिकल उत्पादों (सीपीपी) का प्रमाण-पत्र जारी करता है।
- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT):** यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है तथा इसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करते हैं।
  - डीजीएफटी दवाओं के निर्यात के लिए आवश्यक लाइसेंस (Necessary Licenses), परमिट और प्रमाण-पत्र से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करता है। निर्यातकों को दवाओं का निर्यात करने के लिए DGFT से एक आयात-निर्यात कोड (Import-Export Code - IEC) प्राप्त करना होता है।
- **औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drug and Cosmetics Act, 1940):** भारत में दवाओं से संबंधित विभिन्न पक्षों का नियंत्रण एवं विनियमन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत देश में दवाओं और कॉस्मेटिक्स के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री पर नियामक नियंत्रण स्थापित किया जाता है।
- **राज्य-स्तरीय दवा नियामक प्राधिकरण (SDRA):** राज्य स्तर पर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत, राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण **(State Drug Regulatory Authorities- SDRA)** मौजूद हैं।
- **ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI):** यह भारत में मार्केटिंग हेतु नई दवाओं को मंजूरी देने और उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- **औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO):** यह भारत में कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनकी उपलब्धता आम जनता के लिए उचित दर पर बनी रहे।
- **निर्यात निरीक्षण परिषद (Export Inspection Council- EIC):** यह निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 [Export (Quality Control and Inspection) Act 1963] के तहत अधिसूचित उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करता है। ये मानक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं।

### भारतीय औषधि उद्योगों में हाल की अनियमितताएं

- **गुणवत्ता नियंत्रण के मुद्दे (Quality Control Issues):** भारतीय दवा निर्माताओं को गुणवत्ता नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है, जिसके कारण बाजार में घटिया या नकली दवाओं की आपूर्ति हुई है।
  - उदाहरण के लिए जनवरी 2023 में, चेन्नई स्थित एक फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित आई ड्रॉप्स को एक घातक जीवाणु से दूषित पाया गया था।
- **डेटा हेरफेर (Data Manipulation):** विभिन्न भारतीय औषधि कंपनियों को डेटा में हेरफेर का जिम्मेदार पाया गया है। उदाहरण के लिए 2020 में, हैदराबाद की एक फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा दवा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए डेटा में हेरफेर किया था, जो बैक्टीरिया के संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा थी।

## राजव्यवस्था
- तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

## न्यायपालिका
- निवारक निरोध, एक औपनिवेशिक विरासत: सुप्रीम कोर्ट

## कार्यक्रम एवं पहल
- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023
- एकीकृत ई-ग्रामस्वराज एवं जीईएम पोर्टल

## रिपोर्ट एवं सूचकांक
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20
- भारत में जल निकायों की प्रथम गणना

## विनियम एवं दिशा-निर्देश
- जघन्य अपराधों में बाल संदिग्धों का मूल्यांकन

## बैठक एवं सम्मेलन
- सेना कमांडरों का सम्मेलन

## विविध
- दत्तक माताओं के लिए मातृत्व लाभ

## संक्षिप्तिकी
- असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समझौता
- NMC द्वारा मेडिकल छात्रों व शिक्षकों हेतु दिशा-निर्देश

## न्यूज़ बुलेट्स


# राजव्यवस्था

## तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2023 को लोक सभा में 'तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' [Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023] प्रस्तुत किया गया।

- यह विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
- वर्ष 2005 के अधिनियम के तहत तटीय जलीय कृषि को विनियमित करने के लिए तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (Coastal Aquaculture Authority) की स्थापना की गई थी।

### विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- यह तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रावधान करता है और इसके तहत 'व्यापार सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए कई अपराधों को अपराधमुक्त करता है।
- यह विधेयक तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण नियमों को कमजोर किए बिना इस क्षेत्र के दायरे का विस्तार करने, विनियामक अंतराल को दूर करने और विनियामक अनुपालन बोझ को कम करने का प्रयास करता है।
- इसके तहत अपराधों के लिए सजा में कमी करते हुए सिर्फ 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है; साथ ही कारावास की सजा को समाप्त किया गया है, जबकि वर्तमान में जुर्माने के अतिरिक्त 3 वर्ष तक के कारावास की सजा का भी प्रावधान है।

### विधेयक का महत्व

- संशोधनों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलीय कृषि के नए रूपों को बढ़ावा मिलेगा; इनमें केज कल्चर (cage culture), समुद्री शैवाल कृषि (seaweed culture), सीप कृषि (bi-valve culture), समुद्री सजावटी मछली पालन (marine ornamental fish culture) आदि शामिल हैं।
- तटीय जलीय कृषि के इन नए रूपों में तटीय मछुआरा समुदायों विशेषकर महिला मछुआरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने की क्षमता है।
- यह विधेयक तटीय जलीय कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट वैश्विक प्रथाओं की शुरुआत करने में भी मदद करेगा, जिसमें एक्वाकल्चर क्षेत्रों की मैपिंग और जोनेशन, गुणवत्ता आश्वासन तथा सुरक्षित एक्वाकल्चर उत्पाद शामिल हैं।

### भारत में जलीय कृषि

- 2-4 हेक्टेयर की औसत भूमि के साथ, भारत में जलीय कृषि तटीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है।
- देश में झींगा उत्पादन (shrimp production) वर्ष 2008-09 के लगभग 75,000 टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में लगभग 10 लाख टन हो गया।
- भारत का सी-फूड निर्यात (seafood exports) भी पिछले कुछ वर्षों में औसतन 15% की दर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 57,586 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

# सामाजिक परिदृश्य

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022
- विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट

## अति संवेदनशील वर्ग

- बाल संदिग्धों के आकलन हेतु दिशा-निर्देश

## सामाजिक मुद्दे

- विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान पर चिंता
- कोविड-19 के पश्चात भारत में गरीबी और असमानता में कमी

## संक्षिप्तिकी

- छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिलों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
- विश्व विकास रिपोर्ट-2023
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना

## न्यूज ब्रीफ्स

## रिपोर्ट एवं सूचकांक

### इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022

हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा 'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' (India Justice Report-IJR) 2022 को जारी किया गया। यह इसका तीसरा संस्करण है, इससे पूर्व इसे वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भी जारी किया गया था।

#### रिपोर्ट के संदर्भ में

- यह रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (Center for Social Justice), कॉमन कॉज (Common Cause), कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (Commonwealth Human Rights Initiative), TISS-प्रयास (TISS-Prayas), दक्ष (Daksh), विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (Law Center for Legal Policy) और हाउ इंडिया लाइव्स (How India Lives) के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है।
- इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंक को निर्धारित किया जाता है। इसमें न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता के आकलन पर बल दिया जाता है: पुलिस, जेल, न्यायपालिका तथा कानूनी सहायता।

#### रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

- **न्यायाधीशों की संख्या:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) के अनुसार दिसंबर 2022 तक, देशभर के उच्च न्यायालयों में 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे थे।
- अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की 24,631 स्वीकृत संख्या की तुलना में केवल 19,288 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं।
- **औसत पेंडेंसी की स्थिति:** उच्च न्यायालयों में सर्वाधिक उच्चतम औसत पेंडेंसी (Highest Average Pendency) उत्तर प्रदेश (11.34 वर्ष) में है, इसके पश्चात पश्चिम बंगाल (9.9 वर्ष) का स्थान है।
- इसी प्रकार, उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेंडेंसी (Lowest Average Pendency) त्रिपुरा (1 वर्ष) में है और उसके बाद सिक्किम (1.9 वर्ष) एवं मेघालय (2.1 वर्ष) जैसे राज्यों का स्थान है।
- **केस क्लीयरेंस रेट:** केस क्लीयरेंस रेट (Case Clearance Rate-CCR) एक वर्ष में कुल दर्ज किये गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। CCR का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है।
- रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान केवल चार उच्च न्यायालयों का CCR 100% या उससे अधिक था। हालाँकि, 2022 में 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालयों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी।
- सबसे अधिक केस क्लीयरेंस रेट (CCR) वाले उच्च न्यायालयों में केरल (156%), ओडिशा (131%) है, जबकि राजस्थान (65%) और बॉम्बे (72%) उच्च न्यायालयों में CCR सबसे कम है।
- **न्याय वितरण:** न्याय वितरण के मामले में एक करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक प्रथम, तमिलनाडु द्वितीय तथा तेलंगाना तृतीय स्थान पर है।
- इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, जो अध्ययन किए गए एक करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे नीचे है।
- एक करोड़ से कम आबादी वाले सात छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम प्रथम, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय तथा गोवा सबसे नीचे सातवें स्थान पर पाया गया।

# विरासत एवं संस्कृति


## सांस्कृतिक पर्यटन
- अम्बेडकर सर्किट

## मंदिर एवं स्मारक
- श्री महाविष्णु मंदिर का विलक्कुमाडोम
- स्मारकों और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस

## व्यक्तित्व
- महात्मा ज्योतिबा फुले
- तेजा सिंह सुतंतार

## कार्यक्रम एवं पहल
- ICCR की भाषा मैत्री पुल पहल

## विरासत
- सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण

## संक्षिप्तिकी
- भगवान महावीर की जयंती
- वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन
- सौराष्ट्र तमिल संगमम

## न्यूज ब्रुलेट्स


## सांस्कृतिक पर्यटन

### अम्बेडकर सर्किट

14 अप्रैल, 2023 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से अंबेडकर सर्किट के लिए प्रथम ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, जिसे 'देखो अपना देश' पहल (Dekho Apna Desh' initiative) के तहत चलाया जा रहा है।

#### अम्बेडकर सर्किट मुख्य बिंदु

- **परिचय:** अम्बेडकर सर्किट को 2016 में प्रस्तावित किया गया था और इसके तहत रामायण और बौद्ध सर्किट की तरह अंबेडकर सर्किट पर भी विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई थी।
  - अंबेडकर सर्किट के अंतर्गत चलाई जाने वाली यह ट्रेन बी. आर. अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों को कवर करने के साथ ही महत्वपूर्ण बौद्ध विरासत स्थल से हो कर भी गुजरेगी।
- **सहयोग:** वर्तमान ट्रेन को आईआरसीटीसी आयर पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है।
- **समयावधि:** अम्बेडकर सर्किट पर अपना पहला दौरा संचालित कर रहा है तथा इस ट्रेन का आठ दिवसीय यात्रा होगा।
- **शामिल स्थल:** इसमें बाबा साहेब का जन्म स्थान (मध्य प्रदेश का महू), दीक्षा भूमि ( नागपुर, जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया), महापरिनिर्वाण भूमि ( दिल्ली, उनके निधन का स्थान), चैत्य भूमि (मुंबई, उनके अंतिम संस्कार का स्थान) आदि स्थल शामिल हैं।
  - इस यात्रा के शामिल स्थलों में नई दिल्ली, महू, नागपुर सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा हैं।

#### आवश्यकता और महत्व

- **समरसता का संदेश:** बाबा साहेब ने अपना सारा जीवन समानता और बंधुत्व के लिए काम किया और ट्रेन उस समानता का प्रतिनिधित्व करता है।
- **पर्यटन:** यह एक व्यापक पर्यटक आधार विकसित करने के साथ ही यात्रा करने वाले लोगों में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों का प्रसार भी करेगा।
- **जागरूकता का प्रसार:** यह समाज के वंचित वर्ग में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के सिद्धांतों के प्रति जागरूकता के प्रसार है जो तीर्थयात्रा के रूप में इन प्रमुख स्थलों पर आते हैं।
- **विकास:** विशेष सर्किट के निर्माण से सरकार को बुनियादी ढाँचे, सड़क और रेल संपर्क एवं आगंतुक सुविधाओं सहित विषय से संबंधित सभी स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।

#### डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

- बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे। वे एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था।
- बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ. अम्बेडकर ने दलित बौद्ध अभियान का नेतृत्व किया और उनके समान मानवाधिकारों और बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया। वह 29 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। आजादी के बाद वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने।

#### देखो अपना देश पहल

- पर्यटन मंत्रालय ने देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'देखो अपना देश' पहल शुरू की है।

# आर्थिक विकास एवं परिदृश्य


**कार्यक्रम एवं पहल**

- मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना

**उद्योग एवं व्यवसाय**

- भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनीरत्न का दर्जा
- संशोधित CGTMSE योजना

**परिवहन एवं अवसंरचना**

- उड़ान 5.0

**बौद्धिक संपदा अधिकार**

- 33 नवीन उत्पादों को जीआई टैग

**सूचकांक एवं रिपोर्ट**

- लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक-2023

**संस्थान एवं संगठन**

- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन

**वित्त क्षेत्र एवं वित्तीय प्रणाली**

- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

**विनियम एवं दिशा-निर्देश**

- प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण के संशोधित दिशा-निर्देश

**विविध**

- यूरोपीय संसद द्वारा 'क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियमन' को मंजूरी

**संक्षिप्तिकी**

- विंडफाल टैक्स
- पीएम-मित्र योजना, ईपीसीजी के लिए पात्र योजना में शामिल
- बॉक्स ट्रेडिंग संस्थाओं को नोटिस
- आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का विनियमन

**न्यूज बुलेट्स**


## कार्यक्रम एवं पहल

### मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना

27 अप्रैल, 2023 को भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 'मोटर वाहन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना' (PLI Scheme for Automobile and Auto Component Industry) के अंतर्गत परीक्षण एजेंसियों (Testing Agencies) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने की घोषणा की।

सत्यमेव जयते
Department of Heavy Industry
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Government of India

- इसके साथ ही, योजना के अंतर्गत आवेदक अब उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों [Advanced Automotive Technology (AAT) Products] के परीक्षण तथा प्रमाणन के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
- इससे उन्हें मोटर वाहन क्षेत्र के लिए पीएलआई के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु योग्यता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

#### पृष्ठभूमि

- घरेलू मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition-DVA) की गणना हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण के लिए पुणे स्थित 'भारतीय मोटर वाहन अनुसंधान संघ' (Automotive Research Association of India) के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।
- समिति ने हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों पर विचार-विमर्श करने के बाद मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार किया है।
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए सभी 85 आवेदकों के साथ परामर्श किया गया। इनमें 18 मूल उपकरण निर्माता और 67 ऑटो घटक विनिर्माण कंपनियां शामिल हैं।

#### योजना के संदर्भ में

- भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर, 2021 को भारत में मोटर वाहन क्षेत्र और मोटर वाहन उपकरण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) को आरंभ किया गया था।
- इस योजना के दो घटक हैं-
  - **चैंपियन मूल उपकरण निर्माता (Champion Original Equipment Manufacturer):** इनके द्वारा बिजली अथवा हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन (Electric or Hydrogen Powered Vehicles) निर्मित किए जाते हैं।
  - **कंपोनेंट चैंपियंस (Component Champions):** ये उच्च-मूल्य और उच्च-तकनीकी घटकों (High-Value and High-Tech Components) का निर्माण करते हैं।
- योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदकों को योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए 50 प्रतिशत का घरेलू मूल्यवर्धन (DVA) प्राप्त करना होगा।
- इस योजना का उद्देश्य मेक इन इंडिया अभियान तथा 'उन्नत मोटर वाहन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण' (Domestic Manufacturing Of Advanced Automotive Products) को बढ़ावा देना है।

# अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन


## द्विपक्षीय संबंध
- शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम

## संगठन एवं फोरम
- विश्व व्यापार संगठन का भारत के विरुद्ध निर्णय
- नाटो द्वारा भारत को निमंत्रण
- ओपेक+ देशों की तेल उत्पादन में अतिरिक्त कटौती की घोषणा

## भारत के पड़ोसी देश
- म्यांमार का कोको द्वीप तथा भारत

## मानचित्र के माध्यम से
- फिनलैंड
- सेनकाकू द्वीप समूह

## अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- ऑपरेशन कावेरी
- म्यांमार पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

## द्विपक्षीय संबंध
- भारत-रोमानिया रक्षा समझौता

## अंतरराष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष
- चीन-ताइवान संघर्ष
- इजराइल-सीरिया संघर्ष

## विविध
- आतंकवाद तथा मादक पदार्थों की तस्करी
- नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर

## संक्षिप्तिकी
- भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्यता
- व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौता
- जलवायु ऊर्जा और पर्यावरण पर जी-7 मंत्रियों की बैठक
- रूस-भारत अंतर-सरकारी आयोग (IGC) की 24वीं बैठक

## न्यूज बुलेट्स


### बहुपक्षीय वैश्विक पहल

## शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम

26 अप्रैल, 2023 को भारत की अध्यक्षता में, 'शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम' (SCO IBC) की 19वीं बैठक का आयोजन गोवा में किया गया।

भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड' (India Infrastructure Finance Company Limited- IIFCL) द्वारा की जा रही है। यह 26 अक्टूबर, 2022 से 1 वर्ष के लिए 'शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम' का अध्यक्ष है।

### बैठक के संदर्भ में

- बैठक में एक प्रस्ताव के माध्यम से 'शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम' के सदस्यों के मध्य सहयोग के चार क्षेत्रों की पहचान की गई-
  - **सहयोग का विस्तार:** सदस्य बैंकों के मध्य सहयोग में और अधिक वृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे।
  - **अनुभव और कौशल का आदान-प्रदान:** इस दिशा में 'शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम' के सदस्य बैंकों द्वारा पहले से ही किए गए सकारात्मक कदमों से प्राप्त अनुभव, कौशल और कार्मिक प्रशिक्षण के आदान-प्रदान पर जोर दिया जायेगा।
  - **हस्ताक्षरित दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह:** 20वीं वर्षगांठ के लिए हस्ताक्षरित दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह बनाने की पहल आरंभ की जाएगी।
  - **साझेदारी को मजबूत करना:** 'शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम' के ढांचे के भीतर साझेदारी को मजबूत करने के लिए सदस्य बैंकों को प्रोत्साहन देना।
- 'शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम' की बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता तथा सतत विकास की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

### शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- **गठन:** शंघाई सहयोग संगठन (SCO) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका गठन जून 2001 में शंघाई (चीन) में किया गया था।
- **सचिवालय:** इसका सचिवालय बीजिंग में है।
- **वर्तमान सदस्य:** 8 देशों को SCO की पूर्ण सदस्यता का दर्जा प्राप्त है- भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान; चार देश- अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया को SCO के पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं तथा छः देशों (अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका) को संवाद भागीदार का दर्जा प्राप्त है।
- **आधिकारिक भाषा:** रूसी तथा मंदारिन SCO की आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- **अध्यक्षता:** SCO की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर एक-एक वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है।
- **महत्व:** यह संगठन दुनिया की लगभग 42% आबादी, 22% भूमि क्षेत्र और 20% सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है।

# पर्यावरण एवं जैव विविधता


## आपदा प्रबंधन
- आकस्मिक सूखे की बारंबारता में वृद्धि की संभावना : अध्ययन
- हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण

## वन्य जीव संरक्षण
- प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष
- गज उत्सव 2023

## जलवायु परिवर्तन
- भारत में हीटवेव का प्रकोप
- मानसून पूर्वानुमान

## सूचकांक एवं रिपोर्ट
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22
- वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2022

## सम्मेलन एवं बैठक
- संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023

## पर्यावरण संरक्षण
- जल निकाय गणना
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में एक फर्नारियम की स्थापना

## विविध
- पशु महामारी तैयारी एवं नियंत्रण

## संक्षिप्तिकी
- मैंग्रोव पिट्टा पक्षी
- ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन मिशन
- गेहूं की फसल और समय पूर्व वर्षा

## न्यूज बुलेट्स


## आपदा प्रबंधन

### आकस्मिक सूखे की बारंबारता में वृद्धि की संभावना : अध्ययन

हाल ही में, साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट 'जलवायु परिवर्तन के तहत आकस्मिक सूखे के लिए एक वैश्विक संक्रमण' (A Global Transition To Flash Droughts Under Climate Change) के अनुसार, वैश्विक तापन की परिघटना के बढ़ने के साथ ही उष्णकटिबंधीय स्थानों में आकस्मिक सूखे (Flash Droughts) की बारंबारता में वृद्धि होगी।

#### अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- **प्रभावित क्षेत्र:** इस अध्ययन के अनुसार, सर्वाधिक प्रभावित भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया, उप-सहारा अफ्रीका और अमेजॉन बेसिन जैसे क्षेत्र होंगे।
- **सामान्य स्थिति:** आमतौर पर उष्णकटिबंधीय स्थानों पर अपेक्षाकृत "धीमा सूखा" (Slower Droughts) या सूखा आता है, जिसका अनुमान लगाना आसान होता है।
- **प्रभाव:** इन क्षेत्रों में आकस्मिक सूखा तेजी से 'नया सामान्य' (New Normal) होता जा रहा है, जिसका पूर्वानुमान लगाना और उसके प्रबंधन की तैयारी करना अधिक कठिन हो गया है।
- **कारण:** उच्च तापमान के कारण वर्षा अचानक बंद हो जाती है। इस स्थिति में वातावरण की गर्मी, धूप और हवा की स्थिति वाष्पीकरण की दर को उच्च कर सकती है। इससे पृथ्वी के सतह का जल तेजी से वाष्पित हो सकता है।

#### आकस्मिक सूखा

- **परिचय:** मानसून के दौरान कम वर्षा होने या न होने की स्थिति में शुष्कता की अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप वातावरण के तापमान में वृद्धि हो जाती है।
- तापमान वृद्धि और वर्षा की कमी दोनों मिलकर मिट्टी की नमी में तेजी से कमी का कारण बनते हैं, जिससे अचानक सूखा पड़ता है।
- **अवधि:** आम तौर पर, सूखे की स्थिति विकसित होने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन आकस्मिक सूखा हफ्तों में आ सकता है और महीनों तक बना रह सकता है।
- **पूर्वानुमान एवं प्रबंधन:** जलवायु और जल के स्रोतों के विषय में रुझानों की पहचान कर पूर्व-चेतावनी प्रणाली का विकास किया जा सकता है।
  - इसके साथ ही इसका उपयोग आकस्मिक सूखे की घटना के उद्भव या संभावना का पता लगाने के लिए किया जाता है। सूखे की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा का अध्ययन किया जा सकता है।

#### सूखा

- **परिचय:** एक विशिष्ट अवधि के लिए अस्थाई रूप से जल अथवा नमी की अपेक्षित मात्रा में कमी की स्थिति को सूखा के रूप में जाना जाता है। सूखा की गंभीरता नमी की कमी की मात्रा, अवधि और प्रभावित क्षेत्र के आकार पर निर्भर करती है।
- **वर्गीकरण:** 25 प्रतिशत या इससे कम की दर पर वर्षा में कमी को सामान्य सूखा, 26 से 50 प्रतिशत की कमी को मध्यम सूखा और 50 प्रतिशत से अधिक की कमी को गम्भीर सूखे की स्थिति मानी जाती है।

## जैव–प्रौद्योगिकी

- जेनेटिक मार्कर और प्रीटर्म बर्थ
- जीनोम अनुक्रमण तथा जीनोम इंडिया परियोजना

## नवीन–प्रौद्योगिकी

- नेशनल क्वांटम मिशन की मंजूरी
- 3डी-प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन
- ग्राफीन द्वारा असामान्य विशाल मैग्नेटोरेसिस्टेंस का प्रदर्शन

## अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड विज्ञान

- पीएसएलवी सी-55 मिशन
- लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान

- हृदय रोग के निदान हेतु स्क्रीनिंग टेस्ट
- उभरते खतरों के लिए तैयारी एवं लचीलापन पहल

## रक्षा–प्रौद्योगिकी

- आईएनएस इम्फाल

## विविध

- वीवीपैट मशीन

## संक्षिप्तिकी

- लॉकबिट रैनसमवेयर
- पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023
- डिजिटल हेल्थ समिट 2023
- पुनः उपयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग परीक्षण
- रेयर-अर्थ डिपॉजिट

## न्यूज बुलेट्स


### जैव-प्रौद्योगिकी

# जेनेटिक मार्कर और प्रीटर्म बर्थ

हाल ही में, गर्भ-इनी कार्यक्रम (Garbh-Ini program) पर शोध कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों ने समय पूर्व जन्म (Preterm Birth-प्रीटर्म बर्थ) से संबंधित 19 जेनेटिक/आनुवंशिक मार्करों (Genetic Markers) की पहचान की है, जो नवजात शिशु मृत्यु (जन्म के बाद पहले 28 दिनों में जीवित नवजात शिशुओं की मृत्यु) का एक प्रमुख कारण है।

- प्रीटर्म बर्थ से संबंधित आनुवंशिक मार्करों की पहचान उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की भविष्यवाणी करने और उनकी बारीकी से निगरानी करने में मदद कर सकती है, जिससे मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सकता है।

## जेनेटिक मार्कर के संदर्भ में

- आनुवांशिक संकेतक अथवा जेनेटिक मार्कर (Genetic Markers) DNA के विशिष्ट खंड होते हैं तथा ये विशेष लक्षणों, विशेषताओं एवं स्थितियों को प्रकट करते हैं।
- जेनेटिक मार्कर या तो डीएनए अनुक्रम (DNA sequences) के रूप में या डीएनए अनुक्रम में विशिष्ट भिन्नताओं (specific variations in the DNA sequence) के रूप में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता (Single Nucleotide Polymorphisms-SNPs) जेनेटिक मार्कर का सबसे सामान्य प्रकार है।

### महत्त्व

- जेनेटिक मार्कर का उपयोग आनुवंशिक विविधताओं की पहचान एवं अध्ययन (Identify and study genetic variations) करने के लिए ऐसे आनुवंशिकी अनुसंधानों तथा नैदानिक अभ्यासों में किया जाता है, जो रोगों, विकारों या अन्य जैविक लक्षणों से संबंधित हो सकते हैं।
- एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता Single Nucleotide Polymorphisms-SNPs) महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि सूजन (Inflammation), एपोप्टोसिस (Apoptosis), गर्भाशय ग्रीवा के पकने (Cervical ripening), टेलोमेयर रख-रखाव (Telomere Maintenance), सेलेनोसिस्टीन जैवसंश्लेषण (Selenocysteine Biosynthesis), मायोमेट्रियल संकुचन (Myometrial Contraction) और जन्मजात प्रतिरक्षा (Innate Immunity) को नियंत्रित करते हैं।

## प्रीटर्म बर्थ

- सामान्य गर्भावधि से पहले होने वाले शिशु जन्म को प्रीटर्म बर्थ (Preterm Birth) कहा जाता है। यह गर्भधारण के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व बच्चे के जन्म को संदर्भित करता है। गर्भकालीन आयु के आधार पर अपरिपक्व जन्म की निम्नलिखित उप-श्रेणियाँ हैं:
  - अत्यधिक अपरिपक्व- 28 सप्ताह से कम समय में जन्म।
  - बहुत अपरिपक्व- 28 से 32 सप्ताह के मध्य जन्म।
  - मध्यम अपरिपक्व- 32 से 37 सप्ताह के मध्य जन्म।
  - विशेष रूप से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रीटर्म बर्थ एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। इसका संबंध शिशुओं में देरी से मानसिक एवं शारीरिक विकास तथा वयस्कता के समय बीमारियों के बढ़ते जोखिमों से है।
- यह अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 10% जन्म में से प्रीटर्म बर्थ के रूप में होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले सभी बच्चों में से लगभग 13% बच्चों का जन्म प्रीटर्म बर्थ के रूप में होता है।

प्रारंभिकी 2023
विशेष-8

# करेंट अफेयर्स रिमाइंडर 2022-23

संघ लोक सेवा आयोग की आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इस अंक में वर्ष 2022–23 के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को समाहित करते हुए समग्र स्वरूप में यह परीक्षोपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ्य सामग्री में समसामयिक घटनाक्रमों को संदर्भ बनाते हुए उसके विभिन्न आयामों से जुड़े उन तथ्यों का समावेशन किया गया है, जो प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जहां तक संभव हो इस सामग्री को संक्षिप्त स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि वर्ष भर के करेंट अफेयर्स का व्यापक रूप से कवरेज किया जा सके। उम्मीद है कि यह सामग्री आगामी प्रारंभिक परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होगी।

- शासन एवं राजव्यवस्था
- विधेयक एवं अधिनियम
- कार्यक्रम एवं पहल
- बैठक एवं सम्मेलन
- सूचकांक एवं रिपोर्ट
- संस्थान एवं संगठन
- पर्व एवं उत्सव
- कला के विविध रूप
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
- उद्योग एवं व्यवसाय
- परिवहन एवं अवसंरचना
- मुद्रा एवं बैंकिंग
- वित्त क्षेत्र
- व्यापार एवं निवेश
- वन्यजीव संरक्षण एवं जैव विविधता
- नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास
- जलवायु परिवर्तन
- पर्यावरण संरक्षण
- आपदा प्रबंधन
- नवीन प्रौद्योगिकी
- नैनो एवं जैव प्रौद्योगिकी
- अंतरिक्ष विज्ञान
- रक्षा प्रौद्योगिकी
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

# शासन एवं राजव्यवस्था

## देश में अब 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल

10 अप्रैल, 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया तथा तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) से यह दर्जा वापस ले लिया।

- इस प्रकार **देश में अब केवल 6 राष्ट्रीय दल** हैं- भाजपा, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM), बहुजन समाज पार्टी तथा आम आदमी पार्टी।
- चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को **चुनाव चिह्न (आरक्षण व आवंटन) आदेश 1968 के तहत** निर्धारित शर्तें पूरी करने पर राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाता है।
- **राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने की शर्तें:** निम्नलिखित तीन में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है-
  1. यदि किसी पार्टी ने कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें (अर्थात मौजूदा सदन के 542 सीटों में से 11 सीटें) प्राप्त की हों; या
  2. लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में वह दल किसी भी 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करे और इसके अलावा, वह 4 लोकसभा सीटें जीते; या
  3. यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।

## 7वीं अनुसूची के मूल्यांकन पर रिपोर्ट

मार्च 2023 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने 'संविधान की 7वीं अनुसूची के मूल्यांकन' पर एक वर्किंग पेपर जारी किया।

- 7वीं अनुसूची का गठन **अनुच्छेद 246 के तहत** किया गया है। यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन सूचियां हैं-
  1. **संघ सूची (97 विषय):** इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन मामलों पर **विधान निर्माण की शक्तियां** संघ की **संसद में निहित** हैं।
     - ✧ **प्रमुख विषय:** रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा एवं सिक्का, परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे, डाक एवं तार, नागरिकता, बैंकिंग, बीमा आदि।
  2. **राज्य सूची (66 विषय):** यह सूची उन मामलों के बारे में बात करती है, जो स्थानीय या राज्य हित से संबंधित हैं, इसलिए यह सूची सीधे **राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत** है।
     - ✧ **प्रमुख विषय:** सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, जेल, कृषि, जलापूर्ति, सिंचाई आदि।
  3. **समवर्ती सूची (47 विषय):** इसके अंतर्गत वे विषय शामिल हैं, जिन पर **संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।** विरोध की स्थिति में केंद्रीय कानून प्रभावी होता है।
     - ✧ **प्रमुख विषय:** आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों की सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, शिक्षा आदि।

## डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति

13 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा 5 राज्यों- राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया।

- संविधान के **अनुच्छेद 93** में कहा गया है कि **लोक सभा**, जितनी जल्दी हो सके, दो सदस्यों का **अध्यक्ष (स्पीकर) और उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर)** के रूप में **चयन करेगी** तथा जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, सदन इन पदों के लिए अन्य सदस्य का चयन करेगा।
- इसी प्रकार का प्रावधान **अनुच्छेद 178** के तहत **राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष** के लिए किया गया है।
- **पदावधि:** सदन में उनके नाम का प्रस्ताव पारित होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। एक बार चुने जाने के बाद, डिप्टी स्पीकर आमतौर पर **सदन की पूरी अवधि के लिए** अपने पद पर बने रहते हैं।
- **पद-त्याग:** संविधान के **अनुच्छेद 94** (लोक सभा के लिए) तथा **अनुच्छेद 179** (विधान सभा के लिए) के तहत, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के सदस्य नहीं रहने पर अपना कार्यालय खाली कर देंगे।
  - वे एक-दूसरे को त्यागपत्र देकर भी अपना पद त्याग सकते हैं, या सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित लोक सभा के एक संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

## ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

17-19 फरवरी, 2023 के दौरान ओडिशा के भुबनेश्वर में 'ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' (Localization of SDGs in Gram Panchayats) नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

- 17 सतत विकास लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य सतत् विकास हेतु 2030 एजेंडा के अंग हैं, जो 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था। भारत सरकार 2030 एजेंडे के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।
- ग्राम पंचायतों में SDG के स्थानीयकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा SDG के स्थानीयकरण के लिए 9 विषयगत क्षेत्रों (Themes) की पहचान की गई।
- इन विषयगत क्षेत्रों के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहा है। ये 9 विषयगत क्षेत्र हैं:
- **थीम 1:** गरीबी मुक्त व उन्नत आजीविका ग्राम
- **थीम 2:** स्वस्थ गाँव
- **थीम 3:** बच्चों के अनुकूल गांव
- **थीम 4:** जल पर्याप्त गांव
- **थीम 5:** स्वच्छ और हरित गांव
- **थीम 6:** गांव में आत्मनिर्भर आधारभूत संरचना
- **थीम 7:** सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव
- **थीम 8:** सुशासन वाले गांव
- **थीम 9:** गांवों में उत्पन्न विकास (Engendered Development)

# राज्यनामा

## मध्य प्रदेश

### गोंड पेंटिंग को जीआई टैग

हाल ही में, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध 'गोंड पेंटिंग' को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। गोंड पेंटिंग भगवान, प्रकृति, चंद्रमा, सूर्य आदि को निरुपित करने वाली अनूठी शैली मानी जाती है। इस पेंटिंग का प्रयोग कर गोंड जनजातियों के द्वारा अपने घरों, फर्श आदि को सजाया जाता है।

- मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गाँव का इस कला में उल्लेखनीय योगदान है, जहाँ हर घर में एक कलाकार है। इनके द्वारा निर्मित कलाकृति न केवल राज्य में लोकप्रिय है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जाती है।
- **जीआई टैग:** भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की एक विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है, जो उस उत्पाद के मूल उत्पादन स्थल से जुदा होता है।
- इसका उपयोग औद्योगिक उत्पादों, खाद्य पदार्थों, कृषि उत्पादों, स्पिरिट ड्रिंक्स और हस्तशिल्प के लिए किया जाता है। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य को इस लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

## महाराष्ट्र

### स्वतंत्र वीर गौरव दिवस

हाल ही में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, राज्य स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती को 'स्वतंत्र वीर गौरव दिन' के रूप में मनाएगा। प्रतिवर्ष 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- **वीर सावरकर:** इनको विनायक दामोदर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागूर गांव में 28 मई, 1883 को हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा इसके साथ ही वे लेखक और राजनीतिज्ञ भी थे।
- वह ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रवादियों में से एक थे, उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स के हत्याकांड में भूमिका के कारण कठोर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जेल की सजा दी गई थी।
- सावरकर ने कई पुस्तकों को लिखा था, जिनमें द इंडियन वॉर ऑफ इंडीपेंडेंस 1857 (The Indian War of Independence 1857), सीक्स ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री (Six Glorious Epochs of Indian History) और हिदुत्व: हू इज अ हिन्दू? (Hindutva: Who is a Hindu?) प्रमुख हैं।

## असम

### बिहू प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

14 अप्रैल, 2023 को असम के गुवाहाटी (सरुसजाई स्टेडियम) में लगभग 11,000 कलाकारों के द्वारा पारंपरिक 'बिहू' नृत्य का प्रदर्शन किया गया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई।

- इस कार्यक्रम के लिए पूरे राज्य से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारों का चयन करने और इनको प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम सत्र आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सामने पेश करना था। इस कार्यक्रम में भाग लेने के बदले में, मास्टर ट्रेनर और नृत्यकारों सहित सभी प्रदर्शनकारों को 25,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया गया।
- **बिहू नृत्य क्या है?:** बिहू नृत्य असम राज्य का एक पारंपरिक लोक-नृत्य है, जो एक समूह में युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है।
- इस नृत्य को विशेष रूप से बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू के दौरान किया जाता है, जो अप्रैल के मध्य में असमिया नव वर्ष के आगमन का प्रतीक है।
- बिहू नृत्य का सबसे पहला चित्रण 9वीं शताब्दी की मूर्तियों में मिलता है, जो असम के तेजपुर और दारंग जिलों में पाई जाती हैं। बिहू का उल्लेख 14वीं सदी के चुटिया राजा लक्ष्मीनारायण के शिलालेखों में भी मिलता है।

### असम में मेथनॉल संयंत्र

14 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम में एक मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत की गई और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी गई। मेथनॉल संयंत्र की स्थापना डिब्रूगढ़ के नामरूप में 'असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' (Assam Petrochemicals Ltd. - APL) के प्रांगन में की गई है। इस मेथनॉल संयंत्र की क्षमता 500 टन प्रतिदिन (टीपीडी) है। इस संयंत्र का निर्माण 1,709 करोड़ रुपये के निवेश से किया गया है।